हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या–10/2021

1– श्रीमति प्रेमदेवी पुत्री स्व0 श्री कल्याणनाथ पत्नि श्री कैलाशचन्द, जाति जोगी, निवासी आगरा रोड़, मीना पालडी पुलिस चौकी के पास, जयपुर
2– श्रीमति गीतादेवी पुत्री स्व0 श्री कल्याणनाथ पत्नि श्री पुरूषोत्तम, जाति जोगी, निवासी आगरा रोड़, मीना पालडी पुलिस चौकी के पास, जयपुर
3– श्रीमति सीतादेवी पुत्री स्व0 श्री कल्याणनाथ, निवासी 2 चाणक्यपुरी रेल्वे लाईन के पास, वार्ड नं0 22, सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

बनाम .....*अपीलान्ट्स*

1– श्रीमति पार्वती पत्नि स्व0 श्री श्रवणनाथ (पूर्वपति) हाल नातायत पत्नि श्री रामलाल शर्मा, लेवर कॉलोनी, 153 प्रतापनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला अजमेर।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : 1. श्री दिनेश कुमार, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–15.11.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील रूपनगढ के राजस्व ग्राम करकेड़ी के खाता संख्या 539 नया 475 पुराना के खसरा संख्या 814 रकबा 03–18–00 बीघा किस्म बा0 2 व खसरा संख्या 836 रकबा 07–18–00 बीघा किस्म बा0 2 भूमि के मूल खातेदार श्री कल्याणनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति जोगी, निवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर की मृत्यु के पश्चात मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 15.09.1998 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा श्री श्रवणनाथ पुत्र कल्याणनाथ, जाति जोगी, निवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.09.1998 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। वरवक्त बहस वकील रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित रहे। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.1998 को समस्या समाधान शिविर (मजमेआम) में मूल खातेदार श्री कल्याणनाथ के समस्त वारिसान की जांच किये बिना व अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपीय विरासत नामान्तरकरण मात्र एक पुत्र श्री श्रवणनाथ पुत्र श्री कल्याणनाथ के पक्ष में तस्दीक कर दिया जबकि सभी भाई बहनों के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये था। उनका आगे कथन है कि समस्या समाधान शिविर में सभी समस्याओं का समाधान समस्त पक्षकारों की सहमति अथवा राजीनामे के द्वारा ही किया जा सकता है। बिना सहमति के कोई भी एकतरफा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व समस्त वारिसान की पूर्ण जांच कर व नोटिस जारी करके सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही न्यायिक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती थी किन्तु आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत करने में विधिक व कानूनी त्रुटि कारित कर केवल राज्य सरकार को अत्यधिक निस्तारण दर्शाने हेतु जल्दबाजी में आदेश जारी किया गया है। अपीलान्ट्स मूल खातेदार स्व0 श्री कल्याणनाथ की पुत्रियां हैं एवं विरासत नामान्तरकरण में पुत्रियों का भी नाम दर्ज होना चाहिये था। विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति में समस्त वारिसान का हक व अधिकार नीहित होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0 आर0 टी0 2020(2) पेज 998 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी क्योंकि विवादित आराजी उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। दिनांक 05.01.2021 को रेस्पो0 संख्या 1 ने जमीन अपने नाम दर्ज होना बताते हुए उनकी कृषि भूमि पर पांच–सात लोगों को लाकर झगड़ा फसाद करते हुए भूमि खुर्द बुर्द करने की धमकी दी गई। उनका कथन है कि श्री श्रवणनाथ लाऔलाद फौत हो चुका है एवं इनके निधन के पश्चात रेस्पो0 संख्या 1 ने श्री रामलाल शर्मा के साथ दूसरा विवाह कर लिया एवं भीलवाड़ा में निवास करती है। रेस्पो0 संख्या 1 के राईट ऑफ टाईटल पूर्व पति से समाप्त होकर हाल पति में नीहित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में इनका कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 15.09.1998 निरस्त किया जावे एवं विवादग्रस्त आराजी अपीलान्ट्स के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रेकॉर्ड कर मृतक की विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट्स के पक्ष में स्वीकृत करावें।

वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील में अंकित समस्त कथन झूठे एवं मनगढंत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर समस्या समाधान अभियान शिविर में मजमे आम में बाद जांच सम्पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाकर स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय मृतक की विरासत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक तथ्यों की जांच नहीं की गई है एवं यह तथ्य भी प्रकट आये हैं कि

अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

अजमेर

तारीख हुक्म | प्रेमदेवी बनाम पवितीदेवी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15/11/22

खातेदार श्री श्रवणनाथ लाऔलाद फौत हुआ। पैतृक सम्पत्ति में समस्त वारिसान का बराबर हक व अधिकार नीहित होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अन्तर्गत प्रदत्त सम्पत्ति में समानता के अधिकार से पुत्रियों को वंचित नहीं किया जा सकता। हम वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से सहमत हैं। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 15.09.1998 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रूपनगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे मृतक की विरासत के सम्बन्ध में विधिक वारिसान सम्बन्धी तथ्यों पर सम्पूर्ण जांच कर अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर